पार्थ सारथी सेन शर्मा
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
प्रधान कार्यालय, 4–ए गोखले मार्ग, लखनऊ
फोन कार्या0 0522–2208737, 2207065
फैक्स नं0– 0522–2208769
E mail : md.mvvnl2010@gmail.com

पत्रसं0 057 प्रनि / मविविनिलि / कैम्प

दिनांक 29 – 1 – 2010

मुख्य अभियन्ता (लेसा),
मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि0,
4–ए गोखले मार्ग, लखनऊ।

लेसा के अन्तर्गत यह संज्ञान में आया है कि उपखण्डों में नये कनेक्शन देने के लिए अधिकांश प्रकरणों में पंजीयन एवं स्टीमेट की धनराशि एक साथ जमा कराई जा रही है जो विद्युत वितरण संहिता 2005 में दी गई प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। इसके कारण कनेक्शन देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता परिलक्षित नहीं होती है, जिसके कारण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की हेल्पलाइन में तमाम शिकायतें भी प्राप्त होती रहती हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक उपखण्ड में पंजीयन की व्यवस्था सुनिश्चित करायें तथा पंजीयन रजिस्टर में सम्पूर्ण प्रकरण का विवरण अंकित किया जाये। प्रत्येक आवेदन का पंजीयन होने के बाद ही आगे कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू की जाये। पंजीयन के लिए उपखण्ड स्तर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाय कि नये कनेक्शन के लिए आने वाले हर उपभोक्ता का पंजीयन अवश्यमेव किया जाय। यदि प्रपत्रों में कोई कमी हो तो उपभोक्ता को अवगत करा दिया जाय लेकिंन किसी भी हालत में उपभोक्ता का पंजीयन न रोका जाय।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक